प्रोजेक्ट पर वनमण्डलाधिकारी की विस्तृत तकनिकी टीप

—00—

वन (संरक्षण) अधिनियम 1980 नियम 2003 के तहत मे. धरमसी मोरारजी केमिकल्स कम्पनी लिमिटेड मुम्बई द्वारा फंडकी मोहगांव बाक्साईड उत्खनिपट्टा हेतु उत्तर (सा.) वनमण्डल बालाघाट के वन परिक्षेत्र पश्चिम बैहर क्षेत्रांतर्गत कक्ष क्र. 1491 रकबा 40.468 हेक्टे. वनभूमि व्यपवर्तन का आनलाईन प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है। उक्त प्रस्तुत प्रस्ताव के अनुसार आवेदक विभाग के प्रतिनिधि श्री अखिलेश मालवी, कार्यकारी अधिकारी मेें धरमसी मोरारजी केमिकल्स कम्पनी एवं वन विभाग के अधिकारी/कर्मचारीयों की उपस्थिति में मेरे द्वारा विभाग संयुक्त स्थल निरीक्षण दिनांक 31/8/2017 को किया गया है, निरीक्षण के दौरान पाया गया कि वनखण्ड सरेखा के आरक्षित वनकक्ष क्रमांक 1491 कुल रकबा 327.45 हेक्टे. में से 40.468 हेक्टे. वनक्षेत्र प्रभावित होगा। उक्त प्रभावित वनभूमि पर IVB प्रकार का मिश्रित वन है, जिसका घनत्व 0.5 है, जो कि पहाड़ी क्षेत्र में स्थित है, जिसमें दुर्लभ प्रजाति के वृक्ष नहीं है तथा वन्य प्राणी का अदाकदा आवागमन होता रहता है, वन्यप्राणी रहवास वाला क्षेत्र नहीं है, अतएव वन्यप्राणी रहवास पर विपरीत प्रभाव नहीं है अतएव वन्यप्राणी रहवास पर विपरीत प्रभाव नहीं पड़ेगा। अतएव आवेदित क्षेत्र बाक्साईड उत्खनन खनिपट्टा हेतु स्वीकृति किया जाता है तो कोई आपत्ति नहीं है।

(मधु वि.राज)
वनमण्डलाधिकारी
उत्तर (सा.) वनमण्डल
बालाघाट

D:\Sharad\2015\Project\Dharamsing morarji\Praman ptra 2.doc